

सहकारी पशु आहार फैक्ट्री
88, औधोगिक क्षेत्र, झोटवाडा, जयपुर

दूरभाष नं.:—0141—2340182, 2341324

फैक्स :- 0141—2340182

डीलर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

पासपोर्ट
साईज
फोटो

क्रमांक :-

1. संस्था का नाम :
2. संस्था स्थापना का वर्ष :
3. संस्था का पूरा पता :
4. शहर/कस्बा : फैक्स नम्बर :
5. राज्य : पिन :
6. दूरभाष नम्बर : मोबाईल नम्बर :
7. ई-मेल आईडी :
8. एकल स्वामित्व है तो पूरा नाम
9. पूरा पता :-
10. मोबाईल नम्बर : दूरभाष नम्बर :
11. योग्यता :
12. प्रोपराईट / पार्टनरशिप/कम्पनी (एक नाम लिखे).....
एवं संबंधित ब्यौरा :
13. संस्था का पंजीकरण, नम्बर एवं दिनांक :
14. संस्था का पैन नम्बर :
15. संस्था का जी.एस.टी. नम्बर :
16. गोदाम/दुकान/कार्यालय का स्थान एवं पता :
17. संस्था एवं अन्य के बैंक का नाम एवं पता :
18. बैंक का खाता संख्या एवं
आई एफ सी कोड:
19. व्यवसाय का प्रकार :
20. कम्पनी/संस्था का

- संक्षिप्त विवरण :
21. वर्तमान में आधारभूत संरचना ब्यौरा (भण्डार क्षमता, :
शीतागार सुविधा,
डिलीवरी वाहन इत्यादि) :
22. आधार भूत संरचना में आप क्या-क्या
सुविधायें उपलब्ध करवा सकते हैं :
23. व्यय क्षमता :-
24. वर्तमान में जनशक्ति / विक्रयकर्ता
की संरचना का ब्यौरा :
25. आप राजफैड पशु आहार के डीलर :
बनने में रुचि क्यों रखते हैं?
26. वर्तमान में कौन-कौन से उत्पादों का
विपणन करते हैं :
27. राजफैड उत्पाद "राजफैड पशुआहार"
का विपणन कैसे करेंगे? प्रस्तावित करें :
28. क्या आप पहले से पशु आहार से संबंधित डीलर (एजेन्ट) हैं? यदि है तो संक्षिप्त
विवरण दें :

क्र.स.	कम्पनी का नाम	उत्पाद का नाम	विवरण क्षेत्र	टर्न ओवर

29. वर्तमान व्यवसाय का कुल टर्नओवर :
(राशि लाखों में)
30. जिला / क्षेत्र का नाम जिसके आप डीलर बनना चाहते हैं?
31. राजफैड पशु आहार का आप द्वारा किया :
जाने वाला अनुमानित व्यवसाय (टर्नओवर) :
(लाख रूपये प्रति वर्ष)

आवेदक का पूरा नाम
मय हस्ताक्षर मोहर सहित

घोषणा पत्र

मैने / संस्था का नाम डीलर
क्षेत्र का नाम बनने के लिये सहकारी
पशु आहार फैक्ट्री, जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों (संलग्न) को मेरे द्वारा पढ़ लिया
गया है तथा मुझे सभी शर्तें एवं नियम मान्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर
मय मोहर एवं पूर्ण पता

**सहकारी पशु आहार फैक्ट्री
डीलर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें**

1. डीलर (वितरक) नियुक्ति हेतु फैक्ट्री द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का शुल्क 500/- रुपये (नॉन-रिफ़ैण्डेबिल) जी.एस.टी अलग से होगा जो कि नकद/डी.डी. जमा कराना होगा।
 2. नये डीलर (वितरक) को 50000/- रुपये (पचास हजार रुपये) अमानत राशि के रूप में डीलर नियुक्ति पर सहकारी पशु आहार फैक्ट्री में डी.डी/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा कराने आवश्यक होंगे। जमा की गई अमानत राशि डीलर नियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरांत ही लौटाई जायेगी। विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्त डीलर फैक्ट्री द्वारा निर्धारित प्रतिमाह लक्ष्यों, नियमों एवं शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तथा राशि नकद जमा कराने में डीफाल्टर रहता है तो फैक्ट्री को अधिकार होगा कि उसकी जमा अमानत राशि जब्त कर ली जाये। फैक्ट्री के पास जमा अमानत राशि पर किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। जब्त की गई अमानत राशि को वापिस लौटाने हेतु उक्त डीलर द्वारा मांग का किसी प्रकार का उसे कोई अधिकार नहीं होगा।
 3. डीलर नियुक्ति उपरांत उक्त डीलर को धरोहर राशि के रूप में रु. अलग से जमा कराने होंगे जिस पर शर्त 2 के अनुसार नियम लागू होंगे।
 4. नियुक्त डीलर को केवल "राजफ़ैड पशु आहार" का ही विपणन एवं सैल्स करनी होगी।
 5. राज्य स्तरीय डीलर का न्यूनतम मै.टन, जिला स्तरीय नियुक्त डीलर को न्यूनतम मै.टन एवं तहसील स्तर पर नियुक्त डीलर को न्यूनतम मै.टन प्रति माह राजफ़ैड पशु आहार उठाना अनिवार्य होगा।
 6. डीलर नियुक्ति में पशु आहार एवं इससे संबंधित उत्पादों के विक्रय का अनुभव रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
 7. डीलर की आपूर्ति किये जाने वाले राजफ़ैड पशु आहार की दरें फैक्ट्री द्वारा जिन दरों पर अपनी सदस्य क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को राजफ़ैड पशु आहार दिया जाता है उससे कम नहीं होगी।
 8. सभी जिलों में फैक्ट्री, अपनी सदस्य क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, सहकारी विभागों, गोशालाओं, सरकारी विभागों को सीधे माल की आपूर्ति करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा एवं आपूर्ति की मात्रा डीलर्स के विक्रय लक्ष्य में शामिल नहीं की जायेगी।
 9. फैक्ट्री द्वारा अपने उत्पादित पशु आहार की मूल्य सूची डीलर को समय-समय पर दी जायेगी। नई मूल्य सूची एवं शर्तें जारी होने पर पुरानी मूल्य सूची/दरें स्वतः निरस्त समझी जायेगी। फैक्ट्री द्वारा निर्धारित राजफ़ैड पशु आहार की दरों पर ही डीलर को पशु आहार विक्रय किया जायेगा।
 10. राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर नियुक्त वितरक के पास बाजार अथवा मण्डी में पूरे संसाधन से परिपूर्ण कार्यालय/दुकान होना आवश्यक है। साथ ही न्यूनतमस्क्वायर फीट का गोदाम होना आवश्यक है।
- (आवेदक के हस्ताक्षर)
11. डीलर को राजफ़ैड पशु आहार की सप्लाई तभी की जायेगी जबकि उसके द्वारा की गई मांग के पक्ष में बनने वाली राशि डी.डी/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पहले जमा करा दी गई हो। दूसरे रूप में डीलर को पशुआहार तभी दिया जायेगा जबकि उसके द्वारा नकद राशि जमा करा दी गई हो।
 12. डीलर द्वारा की जाने वाली राजफ़ैड पशु आहार की सप्लाई की मांग लिखित में देनी होगी।
 13. डीलर के लिये निर्धारित विक्रय लक्ष्य व उसकी प्राप्ति पर इन्सेंटिव एवं परिवहन छूट फैक्ट्री के परिपत्र क्रमांक सीसी एफ/एफ/124/मार्क/2018-19/779-1029 दिनांक 18.12.2018 के अनुसार देय होगा। दर्शाये लक्ष्य किसी भी स्तर तक प्राप्ति के बाद सामने दर्शाया इन्सेंटिव एवं

- परिवहन छूट, प्रारम्भिक मात्रा से ही देय होगा। जिला स्तरीय डीलर के लिये परिवहन छूट जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तरीय डीलर के लिये संबंधित तहसील को आधार मानकर दूरी की गणना की जायेगी। ऐसा ही राज्य स्तरीय डीलर के लिये नियम लागू होगा।
14. डीलर को बतौर भुगतान की गारन्टी बावत सिक्कूरिटी के रूप में दो खाली चैक हस्ताक्षर युक्त एवं बिना दिनांक के फैंक्ट्री में जमा कराने आवश्यक होंगे। डीलर पूरा बकाया भुगतान नहीं किये जाने की सूरत में फैंक्ट्री को अधिकार होगा कि चैक में बकाया राशि मय ब्याज भरकर चैक को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत कर सके।
 15. डीलर द्वारा निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो फैंक्ट्री को विलम्बित अवधि एवं राशि पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से ब्याज वसूलने का अधिकार डीलर से होगा।
 16. विपणन एवं सैल्स प्रोत्साहन के लिये प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत, नियुक्त डीलर को पैम्पलैट, ग्लोसाइन बोर्ड एवं अन्य उपलब्ध सामग्री फैंक्ट्री में उपलब्ध होने पर उक्त प्रचार-प्रसार सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी।
 17. फैंक्ट्री स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध राजफैंड पशु आहार की निर्धारित पैकिंग ही डीलर को लेनी होगी तथा उसका विक्रय करना होगा।
 18. राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर एक से अधिक डीलर्स की नियुक्ति की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए महाप्रबन्धक (फैंक्ट्री) को उक्त नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 19. डीलरशिप निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबन्धक (फैंक्ट्री) को स्वतन्त्र रूप से होगा।
 20. राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर नियुक्त डीलर को दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण नहीं करने तथा अनुचित विवाद खड़ा करने पर महाप्रबन्धक (फैंक्ट्री) को डीलरशिप समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 21. फैंक्ट्री परिसर से एक बार तुलाई उपरांत राजफैंड पशु आहार डीलर द्वारा फैंक्ट्री परिसर से ले जाया जाता है तो इसके उपरान्त डीलर द्वारा राजफैंड पशु आहार पैकिंग का वजन कम होने का दावा किया जाता है तो वह फैंक्ट्री स्तर पर मान्य नहीं होगा अर्थात् उसे निरस्त समझा जायेगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

22. फैंक्ट्री परिसर से एक बार राजफैंड पशु आहार ले जाने के बाद उसके खराब होने, गुणवत्ता खराब होने, पानी से भीगने से खराब होने, वजन कम होने की किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत, फैंक्ट्री को मान्य नहीं होगी।
23. फैंक्ट्री को डीलर की लिखित मांग के अनुसार पशु आहार की आपूर्ति करने होगी। सप्लाई में कोई बाधा आती है और सप्लाई में बाधा के कारण लक्ष्य पूर्ति नहीं होती है तो उसका दायित्व डीलर पर नहीं होगा।
24. सहकारी पशु आहार फैंक्ट्री एवं डीलर के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद/मतभेद होने पर प्रबंध संचालक, राजफैंड का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
26. डीलर से किया गया अनुबंध की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। अवधि समाप्ति उपरांत डीलर को अपनी डीलरशिप का पुनः नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा। पुनः नवीनीकरण, नियुक्त डीलर की व्यावसायिक विपणन एवं सैल्स में उपलब्धि की वस्तुस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही किया जाना संभव होगा।
27. डीलरशिप चाहने वाले आवेदनकर्ता को पशु आहार एवं व्यापारिक गतिविधि करने का अनुभव होना चाहिये। पशु आहार विक्रय तथा उसका व्यवसाय करने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
28. डीलर नियुक्त होने की स्थिति में उक्त डीलर का डीलर नियुक्ति से पूर्व किसी भी आपराधिक केस में सम्मिलित होने का मामला नहीं होना चाहिये। किसी भी प्रकार का विवाद का मामला उजागर होने पर उक्त डीलर की डीलरशिप समाप्त कर दी जायेगी।

29. समस्त प्रकार के डीलरों (वितरक) की नियुक्ति फैक्ट्री स्तर से गठित कमेटी द्वारा की जायेगी।
30. किसी भी स्थान पर एक से अधिक डीलर नियुक्त किये जाने की स्थिति में उनके मध्य की दूरी व कार्य क्षेत्र की किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी।
31. नियुक्त डीलर (वितरक) को सहकारी पशु आहार फैक्ट्री के साथ 500/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
32. नियुक्त डीलर द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज के बारे यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सही है। इस संबंध में उल्लेख है कि डीलर द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज गलत पाये जाते हैं तो उक्त डीलर की डीलरशिप निरस्त करने का अधिकार सहकारी पशु आहार फैक्ट्री को स्वतन्त्र रूप से होगा। इस हेतु कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा और ना ही कोई अग्रिम जानकारी डीलर को देना आवश्यक होगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

33. एक डीलर केवल एक ही स्थान हेतु आवेदन कर सकता है।
34. किसी भी डीलर को अपनी डीलरशिप सबलेट करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।
35. यदि कोई डीलर अपनी नियुक्ति स्थान से किसी अन्य डीलर के नियुक्ति स्थान पर पशु आहार विक्रय करता है तो ऐसी स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर उसकी डीलरशिप निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा।
36. डीलर को राजफैड पशु आहार के बैग नियमित रूप से गोदाम में रखने आवश्यक होंगे।
37. सहकारी पशु आहार फैक्ट्री द्वारा नियुक्त डीलरों के कार्य का मूल्यांकन मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
38. डीलर नियुक्ति के बाद उक्त डीलर को अन्य पशु आहार ब्राण्डों की बिक्री बन्द करनी होगी।
39. राजफैड पशु आहार, सहकारी पशु आहार फैक्ट्री द्वारा डीलर से अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर ही माल दिया जायेगा।
40. सहकारी पशु आहार फैक्ट्री के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा डीलर के गोदाम एवं कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा। इसके अलावा डीलर के दैनिक सैल्स रिपोर्ट के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा।
41. सहकारी पशु आहार फैक्ट्री द्वारा राजफैड पशु आहार विक्रय किये जाने के लिये लक्ष्यानुसार बिक्री को बढ़ाने को अंजाम देने हेतु समय-समय पर निर्देशित किया जा सकता है।
42. सहकारी पशु आहार फैक्ट्री डीलर की मांगानुसार राजफैड पशु आहार दिये जाने हेतु बाध्य नहीं होगा। किसी भी कारणवश राजफैड पशु आहार की कमी होने की स्थिति में राजफैड पशु आहार उपलब्धता के अनुसार ही देय होगा।
43. डीलर द्वारा सहकारी पशु आहार फैक्ट्री द्वारा निर्धारित राजफैड पशु आहार की दरों से अधिक दर पर राजफैड पशु आहार की बिक्री नहीं की जायेगी।
44. नियुक्त डीलर द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान लक्ष्य से कम या पूरे वर्ष या 2 से 4 माह के अन्दर राजफैड पशु आहार नहीं उठाया जाता है तो डीलर की डीलरशिप समाप्त करने का अधिकार सहकारी पशु आहार फैक्ट्री को रहेगा।
45. डीलर की नियुक्ति क्षेत्र में आने वाली क़य-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति, अपने सैल पॉइन्ट से राजफैड पशु आहार विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)